न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 21/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/678

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री शैतानराम विश्नोई पुत्र श्री मुलतानाराम विश्नोई उम्र 32 वर्ष (एफबीओ/विक्रेता) फर्म–मैसर्स :– भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88/09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर। फैक्ट्री :– श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव – चौपासनी चारणान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी – जेठानियों की ढाणी, एकलखोरी, जोधपुर 342306।
2. श्री मदनगोपाल विश्नोई पुत्र श्री बाबूलाल विश्नोई उम्र 37 वर्ष (मालिक) फर्म–मैसर्स :– भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88/09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर। फैक्ट्री :– श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव – चौपासनी चारणान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी – 88/09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।

उपस्थिति

अप्रार्थीगण अधिवक्ता अनुपस्थित।

–:आदेश :– दिनांक :– 24.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.01.2020 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88/09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर फैक्ट्री/नमूनीकरण स्थान :– श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव – चौपासनी चारणान, तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested

तिंवरी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय डेयरी पर विक्रेता/एफबीओ की हैसियत से श्री शैतानराम विश्नोई पुत्र श्री मुलतानाराम विश्नोई उपस्थित मिले तथा उक्त परिसर पर आम जनता को विक्रय वास्ते पनीर का निर्माण विक्रय कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने स्वयं का पहचान पत्र आधार कार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र मै0 भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, एफएसएसआई 22220039000286, किरायानामा पेश किया एवं वर्ष 2020 का एफएसएसए अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया। निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर कोल्ड रूम में पॉलीथीन बैग्स में पनीर करीबन 4 किलोग्राम के 35 पैकेट्स एवं 92 किलोग्राम का पैकेट्स (कुल 232 किलोग्राम) आम जनता को विक्रय हेतु भण्डारण किये हुए था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह श्री राजूराम विश्नोई पुत्र श्री सत्तूराम विश्नोई पदनाम – एएसआई, पुलिस थाना मथानियां जिला जोधपुर मो. 9782307636 एवं श्री मुकेश कच्छाहावा पुत्र श्री अमृतलाल कच्छावाहा, निवासी – गांव चौपासनी चारणान तह0 तिंवरी जिला जोधपुर मो. 8107866465 के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए दिया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया गया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ पनीर वास्ते जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। उक्त प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विकेता को 200/– रूपये नगद देकर पनीर 1 किलोग्राम वास्ते जांच नमूनीकरण खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विकेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त पनीर को क्रश कर हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की साफ, सुखी एवं नयी नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा (250–250 ग्राम) में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बून्दे बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाईट बन्द कर इन हेतु चार लेबल तैयार किये डी.ओ कोड व सीरियल नम्बर एम–2252 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक एवं परिरक्षक की मात्रा एवं प्रकृति अंकित की गई। मैने, गवाह व विकेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमुनों पर [illegible] लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested

को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2252 हस्ताक्षर युक्त डॉ. बलवन्त मण्डा, अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2252 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। मौके पर शेष पनीर 231 किलोग्राम को नष्ट करवाया गया जिसकी मौका फर्द पृथक से तैयार की गयी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं नमूने का विवरण अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 27.01.2020 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2252 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 25.01.2020 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 25.01.2020 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kalia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्म के मालिक श्री मदनगोपाल विश्नोई के द्वारा उनकी फर्म का एफएसएसए के तहत जारी रजि0 संख्या 22220039000286 जारी दिनांक 04.02.2020 प्रस्तुत किया जो संलग्न है।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 172–176 दिनांक 29.02.2020 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस./26/एक्ट/2020/26 दिनांक 06.02.2020 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना मिल्क फेट की निर्धारित मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 41.14 प्रतिशत एवं मिल्क फैट की रिर्चाट वैल्यू न्यूनतम 28.0 के स्थान पर 0.39 प्रतिशत पाये जाने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 172–176 दिनांक 29.02.2020 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस/26/एक्ट/2020/26 दिनांक 06.02.2020 फर्म–मैसर्सः भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88/09, के0के0 कोलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर के पते पर डिलिवर हो गयी जिसका डाक विभाग का ट्रेक कन्साईनमेन्ट संलग्न हैं। फर्म के मालिक मदनलाल विश्नोई के उक्त पनीर की पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पुणे से पुनः जांच के आवेदन पर अभिहित अधिकारी जोधपुर के द्वारा उक्त नमूना संख्या एम–2252 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 9791–93 दिनांक 08.06.2020 के द्वारा निदेशक, रेफरल फूड लेब, पुणे को भिजवाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट RFL/DO/159/20/422/2020 दिनांक 10.07.2020 के अनुसार उक्त पनीर अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस. एस.एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन हैं जो धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अभिहित अधिकारी जोधपुर ने समस्त कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं न्यायनिर्णयन स्वीकृति क्रमांक–एफएसएसए/2020/स्वीकृति/ एम–2252/462–463 दिनांक 11.08.2020 को जारी की एवं मुझे प्राधिकृत कर आदेश दिये कि प्रकरण को न्यायानिर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी एवं सम्बन्धित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, द्वितीय जोधपुर के समक्ष पेश करने के निर्देश दिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दन शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा गत 4 वर्षों से जवाब हेतु समय लिया गया इसके उपरान्त भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता का जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई लेकिन अप्रार्थी अधिवक्ता बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 24.06.2024 को रखी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थीगण की फैक्ट्री श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव चौपासनी चारणान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु पनीर का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन होने के कारण धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी शैतानराम विश्नोई पुत्र मुलतानराम विश्नोई (एफबीओ/विक्रेता) तथा मदनगोपाल विश्नोई पुत्र बाबूलाल विश्नोई (मालिक) पर शास्ती रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

क्रमांकः कोर्ट / एडीएम / जोधपुर(ग्रामीण) / 2024 / दिनांक :—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री शैतानराम विश्नोई पुत्र श्री मुलतानाराम विश्नोई उम्र 32 वर्ष (एफबीओ / विक्रेता) फर्म—मैसर्स :— भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88 / 09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर। फैक्ट्री :— श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव — चौपासनी चारणान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी — जेठानियों की ढाणी, एकलखोरी, जोधपुर 342306।
4. श्री मदनगोपाल विश्नोई पुत्र श्री बाबूलाल विश्नोई उम्र 37 वर्ष (मालिक) फर्म—मैसर्स :— भोलेनाथ मिल्क प्रोडक्ट्स, 88 / 09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर। फैक्ट्री :— श्री कुम्भाराम माली पुत्र श्री भंवरलाल माली की किराये की फैक्ट्री, मथानिया बाईपास, गांव — चौपासनी चारणान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी — 88 / 09 के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:36 IST
Reason: SelfAttested